भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2549

सोमवार, 9 मार्च, 2026/18 फाल्गुन, 1947 (शक)

ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि नहीं होना

†2549.डॉ. काकोली घोष दस्तीदारः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कृषि श्रमिकों, गै र-कृषि श्रमिकों और निर्माण श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान कृषि श्रमिकों, गैर-कृषि श्रमिकों और निर्माण श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): श्रम एवं रोजगार मंत्रालय कृषि श्रमिकों, गैर-कृषि श्रमिकों और निर्माण कामगारों की औसत वास्तविक मजदूरी पर केंद्रीय रूप से संकलित आंकड़ें नहीं रखता है।

श्रम के समवर्ती सूची में होने के कारण, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों, दोनों को न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने, उनकी समीक्षा करने और उन्हें संशोधित करने का अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा, मजदूरी संहिता, 2019 और पूर्ववर्ती न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अब संहिता के तहत समाहित) के उपबंधों के अनुसार अधिकांश श्रेणियों के कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की जाती है और उन्हें कार्यान्वित किया जाता है।

केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाती हैं और औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) में वृद्धि के आधार पर समय-समय पर इनमें संशोधन किया जाता है। दिनांक 01.10.2025 तक की स्थिति के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी का ब्यौरा https://clc.gov.in/clc/sites/default/files/mygov_17592265211.pdf पर उपलब्ध है।
